	भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग/ MINISTRY OF FINANCE, DEPTT. OF REVENUE **कार्यालय प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) जोधपुर** OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE): JODHPUR मुख्यालय: नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर – 302005 HQRS. : N.C.R. BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR-302005 (TECHNICAL CELL) (तकनीकी शाखा)	सत्यमेव जयते

DIN: 20241275NJ00008037E1

PUBLIC NOTICE NO. 15/2024

सार्वजनिक सूचना संख्या 15/2024

Subject: Digitization of Customs Bonded Warehouse procedures relating to obtaining Warehouse Licenses, Bond to Bond Movement of warehoused goods, and uploading of Monthly returns-reg.

विषय: वेयरहाउस लाइसेंस प्राप्त करने, वेयरहाउस में रखे गए माल की बॉण्ड से बॉण्ड आवाजाही और मासिक रिटर्न अपलोड करने से संबंधित सीमा शुल्क परिबंधित वेयरहाउस प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण-संबंधी।

1. Kind attention is invited to Board's Circular No. 19/2024-Customs dated 30.09.2024 issued on concern of Digitization of Customs Bonded Warehouse procedures relating to obtaining Warehouse Licenses, Bond to Bond Movement of warehoused goods, and uploading of Monthly returns.

कृपया आपका ध्यान बोर्ड के परिपत्र संख्या 19/2024-सीमा शुल्कदिनांक 30.09.2024 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो वेयरहाउस लाइसेंस प्राप्त करने, वेयरहाउस में रखे गए माल की बॉण्ड से बॉण्डआवाजाही और मासिक रिटर्न अपलोड करने से संबंधित सीमा शुल्क परिबंधित वेयरहाउस प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के संबंध में जारी किया गया था।

2. In order to facilitate ease of doing business in respect of the Customs Bonded Warehouses, CBIC has introduced a Warehouse Module on ICEGATE to enable-

i. Online filing of application for obtaining a Warehouse License;

ii. Online submission and processing of requests for transfer of warehoused goods to another person and/or another warehouse; and

iii. Uploading Monthly returns for the Customs Bonded Warehouse.

सीमा शुल्कपरिबंधित वेयरहाउस के संबंध में व्यापार करने में आसानी को सुविधाजनक बनाने के लिए, सीबीआईसी ने आइसगेट पर एक वेयरहाउस मॉड्यूल शुरू किया है, जिससे निम्नलिखित कार्य संभव हो सकेंगे-

i. वेयरहाउस लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दाखिल करना;

ii. वेयरहाउस में रखे गए माल को किसी अन्य व्यक्ति और/या किसी अन्य वेयरहाउस में स्थानांतरित करने के अनुरोधों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना और संसाधित करना; और

iii. सीमा शुल्कपरिबंधित वेयरहाउस के लिए मासिक रिटर्न अपलोड करना।

3. The Directorate General of Systems (DG Systems) has issued detailed User Manuals for providing necessary guidance to the members of the trade as well as the Departmental officers, that can be accessed on

https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-licensing

https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehousewarehouse-transfer

https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-monthlyreturns respectively. An overview of the process enabled is explained in following paragraphs.

सिस्टम महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) ने व्यापार के सदस्यों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विस्तृत उपयोगकर्ता मैनुअल जारी किया है , जिसे यहां देखा जा सकता है

https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-licensing
https://www.icegate.gov.in/guidelines/warehousewarehouse-transfer

सक्षम प्रक्रिया का अवलोकन निम्नलिखित पैराग्राफ में बताया गया है।

3.1 Warehouse Licensing Procedure:

Reference is invited to the Public Warehouse Licensing Regulations, 2016, the Private Warehouse Licensing Regulations, 2016 and the Special Warehouse

Licensing Regulations, 2016 that provide for licensing of Public, Private and Special Warehouses under Section 57, 58 and 58A of the Customs Act, 1962, respectively.

The Circular 26/2016-Customs dated 09.06.2016, as amended, prescribes an application Form for obtaining a license for a Customs Bonded Warehouse.

वेयरहाउस लाइसेंसिंग प्रक्रिया:

सार्वजनिक वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016, निजी वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 और विशेष वेयरहाउस लाइसेंसिंग विनियम, 2016 का संदर्भ लें, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57, 58 और 58ए के तहत क्रमशः सार्वजनिक, निजी और विशेष वेयरहाउस के लाइसेंसिंग का प्रावधान करते हैं।

परिपत्र 26/2016-सीमा शुल्क दिनांक 09.06.2016, यथा संशोधित, द्वारा सीमा शुल्क बांडेडवेयरहाउस के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र विनिर्धारित किया गया है।

3.1.1 This process has now been digitized wherein the authorised signatory of an applicant can log in to the ICEGATE portal and submit the application online along with accompanying documents. The application once submitted would be received by the proper officer linked to the Customs jurisdiction filed by the applicant. The application will then be processed by Customs in the backend.

इस प्रक्रिया को अब डिजिटल कर दिया गया है, जिसमें आवेदक का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ICEGATE पोर्टल पर लॉग इन कर सकता है और दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकता है। एक बार जमा किए गए आवेदन को आवेदक द्वारा दायर सीमा शुल्क क्षेत्राधिकार से जुड़े उचित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद आवेदन को बैकएंड में सीमा शुल्क द्वारा संसाधित किया जाएगा।

3.1.2 A functionality for raising any query by the proper officer on this online application has also been built in the module. Further, the applicant/authorised signatory can respond to such queries received from the officer on the module itself. The final decision to accept or reject the application for licensing shall be processed at the back-end. Once the application for license is accepted, the officer can generate a warehouse code online, and the license would be forwarded to the applicant.

इस ऑनलाइन आवेदन पर उचित अधिकारी द्वारा कोई भी प्रश्न उठाने की कार्यक्षमता भी मॉड्यूल में बनाई गई है। इसके अतिरिक्त , आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मॉड्यूल पर ही अधिकारी से प्राप्त ऐसे प्रश्नों का

जवाब दे सकते हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय बैक-एंड पर संसाधित किया जाएगा। एक बार लाइसेंस के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिकारी ऑनलाइन वेयरहाउस कोड तैयार करेगाऔर लाइसेंस आवेदक को भेज दिया जाएगा।

3.1.3 The applicant willing to obtain Warehouse License under jurisdiction of Jodhpur (Preventive) Customs Commissionerate need to enter port code as **INKKU6** for Jodhpur (Preventive) Customs.

सीमा शुल्क आयुक्तालय जोधपुर (निवारक) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वेयरहाउस लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को सीमा शुल्कजोधपुर (निवारक) के लिए **INKKU6** पोर्ट कोड दर्ज करना होगा।

3.1.4 For further details of the Warehouse licensing module, the users are advised to refer the User Manual available at

https//www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-licensing

वेयरहाउस लाइसेंसिंग मॉड्यूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए, उपयोगकर्ताओं को https//www.icegate.gov.in/guidelines/warehouse-licensing पर उपलब्ध उपयोगकर्ता मैनुअल को देखने की सलाह दी जाती है।

3.2 Transfer of Warehoused Goods to another person and/or another warehouse:

Broadly, the Warehouse Module caters to online filing of request and its processing for the following three scenarios -

Case 1: Change in ownership without change in the Warehouse;

Case 2: Change in Warehouse with no change in ownership; and

Case 3: Change in the Warehouse as well as ownership of goods.

The designed workflow takes care of aspects related to recording relevant particulars of Seller and Buyer, validation and reconciliation of quantity and value of goods under transfer, furnishing warehousing (triple duty) bond by the buyer,

acceptance of request by the proper officer etc. Detailed step-by-step workflow in each of these scenarios is enclosed at Annex-A.

वेयरहाउस में रखे माल का किसी अन्य व्यक्ति और/या किसी अन्य वेयरहाउस में स्थानांतरण करना :
मोटे तौर पर, वेयरहाउस मॉड्यूल निम्नलिखित तीन परिदृश्यों के लिए ऑनलाइन अनुरोध दाखिल करने और उसके प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है –
मामला 1: वेयरहाउस में परिवर्तन के बिना स्वामित्व में परिवर्तन;
मामला 2: स्वामित्व में परिवर्तन के बिना वेयरहाउस में परिवर्तन; और
मामला 3: वेयरहाउस के साथ-साथ माल के स्वामित्व में भी परिवर्तन।

डिज़ाइन किया गया कार्यप्रवाह विक्रेता और क्रेता के प्रासंगिक विवरणों को रिकॉर्ड करने, हस्तांतरण के तहत माल की मात्रा और मूल्य का सत्यापन और समाधान, क्रेता द्वारा वेयरहाउसिंग (ट्रिपल ड्यूटी) बॉण्ड प्रस्तुत करना, उचित अधिकारी द्वारा अनुरोध की स्वीकृति आदि से संबंधित पहलुओं का ध्यान रखता है। इनमें से प्रत्येक परिदृश्य में विस्तृत चरण-दर-चरण कार्यप्रवाह अनुलग्नक-ए में संलग्न है।

3.2.1 Once operational, the module will track and keep record of any material imported under an Into-Bond Bill of Entry including its current location and ownership details through the successive transfers to different warehouses and/or owners. It will also monitor goods flowing into and out of a warehouse in precise terms, thus facilitating filing and processing of monthly returns.

एक बार चालू होने के बाद, मॉड्यूल किसी भी सामग्री को इनटू-बॉण्ड बिल ऑफ एंट्री के तहत ट्रैक करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें विभिन्न वेयरहाउसों और/या मालिकों को क्रमिक हस्तांतरण के माध्यम से उसका वर्तमान स्थान और स्वामित्व विवरण शामिल है। यह वेयरहाउस में आने और जाने वाले माल की सटीक रूप से निगरानी भी करेगा, जिससे मासिक रिटर्न दाखिल करने और संसाधित करने में सुविधा होगी।

3.2.2 Regulation 3 of the Warehouse Goods (Removal) Regulations, 2016 prescribes a physical Form for transfer of goods from one warehouse to another warehouse. The Form provides for inter alia recording of physical dispatch of goods from the originating warehouse and recording of physical receipt of goods at the destination warehouse. The said recordings are required to be signed by the

licensee or the bond officer, as the case may be. While the module on ICEGATE will capture all relevant transaction details in the ICES database, the aforesaid physical Form will also be used to monitor and close physical movement of goods. The said physical Form will be integrated with module in due course. Till such time, it shall continue to be in force and is required to be filled manually in addition to the online modality provided by the module.

वेयरहाउस गुड्स (रिमूवल) रेगुलेशन, 2016 के विनियमन 3 में एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में माल के हस्तांतरण के लिए एक भौतिक फॉर्म निर्धारित किया गया है। फॉर्म में अन्य बातों के साथ-साथ मूल वेयरहाउस से माल के भौतिक प्रेषण की रिकॉर्डिंग और गंतव्य वेयरहाउस में माल की भौतिक प्राप्ति की रिकॉर्डिंग का प्रावधान है। उक्त रिकॉर्डिंग को लाइसेंसधारी या बॉण्ड अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक है, जैसा भी मामला हो। जबकि ICEGATE पर मॉड्यूल ICES डेटाबेस में सभी प्रासंगिक लेनदेन विवरणों को कैप्चर करेगा, उपरोक्त भौतिक फॉर्म का उपयोग माल की भौतिक आवाजाही की निगरानी और उसे बंद करने के लिए भी किया जाएगा। उक्त भौतिक फॉर्म को नियत समय में मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया जाएगा। ऐसे समय तक, यह लागू रहेगा और मॉड्यूल द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन पद्धति के अलावा इसे मैन्युअल रूप से भरना होगा।

3.3 Monthly Returns:

Regulation 11 of the Warehouse (Custody and Handling of Goods) Regulations, 2016 requires a licensee to file monthly returns. Board vide Circular No. 25/2016- Customs dated 08.06.2016, as amended by Circular No. 04/2023-Customs dated 21.02.2023, has prescribed filing of two monthly returns by licensees as per Form A and Form B:

(i) Form-A: a return with information on the receipt, storage, operations and removal of goods in the month.

(ii) Form-B: a return with information on the warehoused goods for which the specified warehousing period is expiring in the month.

मासिक रिटर्न:

वेयरहाउस (माल की अभिरक्षा और हैंडलिंग) विनियम, 2016 के विनियम 11 के अनुसार लाइसेंसधारी को मासिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। बोर्ड ने परिपत्र संख्या 25/2016- सीमा शुल्क दिनांक 08.06.2016 के अनुसार, जिसे परिपत्र संख्या 04/2023- सीमा शुल्क दिनांक 21.02.2023 द्वारा

संशोधित किया गया है, लाइसेंसधारियों द्वारा फॉर्म ए और फॉर्म बी के अनुसार दो मासिक रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया है:

(i) फॉर्म-ए: माह में माल की प्राप्ति, भंडारण, संचालन और निष्कासन की जानकारी के साथ एक रिटर्न।

(ii) फॉर्म-बी: वेयरहाउस में रखे गए माल की जानकारी के साथ एक रिटर्न जिसके लिए निर्दिष्ट वेयरहाउसिंग अवधि माह में समाप्त हो रही है।

3.3.1 The Warehouse module shall enable uploading scanned copies (in PDF format) of these Monthly Returns on ICEGATE. Also, corresponding officers would be able to download these scanned documents for necessary action at their end. The Warehouse owner/authorized representatives should carefully file the details in their monthly return so as to enable proper reconciliation of warehoused goods.

वेयरहाउस मॉड्यूल इन मासिक रिटर्न की स्कैन की गई प्रतियों (पीडीएफ प्रारूप में) को ICEGATE पर अपलोड करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही, संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए इन स्कैन किए गए दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकेंगे। वेयरहाउस मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने मासिक रिटर्न में विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करना चाहिए ताकि वेयरहाउस में रखे गए माल का उचित मिलान किया जा सके।

3.3.2 The filing of these Monthly Returns using Webforms would be made available on ICEGATE in Phase 2.

वेबफॉर्म का उपयोग करके इन मासिक रिटर्न को दाखिल करना चरण 2 में ICEGATE पर उपलब्ध कराया जाएगा।

3.4 Attention is invited to Section 59(3) of the Customs Act, 1962 which requires furnishing of such security, as may be prescribed, in addition to execution of the warehousing bond. Accordingly, the requirement of security has been prescribed under Circular 21/2016-Customs dated 31.06.2016, as amended. Para 5 of the said Circular mandates that the security to be furnished by the importer or owner of goods shall be furnished at the Port of Import where the bill of entry for warehousing was filed. Accordingly, it is reiterated that the proper officer at the Port of Import must ensure submission of the triple duty bond and security in terms of Section 59 of the Customs Act read with Circular 21/2016-Customs dated 31.05.2016 (as amended).

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59(3) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें वेयरहाउसिंग बॉण्ड के निष्पादन के अलावा, ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। तदनुसार, सुरक्षा की आवश्यकता परिपत्र 21/2016-सीमा शुल्क दिनांक 31.06.2016 के तहत निर्धारित की गई है, जैसा कि संशोधित है। उक्त परिपत्र के पैरा 5 में यह अनिवार्य है कि आयातक या माल के मालिक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा आयात के बंदरगाह पर प्रस्तुत की जाएगी, जहां वेयरहाउसिंग के लिए प्रविष्टि बिल दायर किया गया था। तदनुसार, यह दोहराया जाता है कि आयात के बंदरगाह पर उचित प्राधिकारी को परिपत्र 21/2016-सीमा शुल्क दिनांक 31.05.2016 (यथा संशोधित) के साथ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 के अनुसार ट्रिपल ड्यूटी बॉण्ड और सुरक्षा जमा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

4. The users of the Warehouse Module i.e. trade and officers alike, are requested to go through the User Manuals issued in this regard to familiarize themselves with the necessary steps to be followed. The User Manuals serve as a guide that depicts all stages in an easy-to-understand manner aided by screenshots/pictures of the module interface. This is meant to handhold the users through the different stages of the processes.

वेयरहाउस मॉड्यूल के उपयोगकर्ताओं अर्थात् व्यापार और अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में जारी किए गए उपयोगकर्ता मैनुअल को पढ़ें ताकि वे आवश्यक चरणों से परिचित हो सकें। उपयोगकर्ता मैनुअल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है जो मॉड्यूल इंटरफ़ेस के स्क्रीनशॉट/चित्रों की सहायता से सभी चरणों को समझने में आसान तरीके से दर्शाता है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं के विभिन्न चरणों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है।

5. Applicants/Authorized Signatories/Licensees facing any difficulties in the access or use of the Warehouse Module can email their grievance to icegatehelpdesk@icegate.gov in for suitable redressal. Customs officers facing similar issues may email it to saksham.seva@icegate.gov in for expeditious resolution.

वेयरहाउस मॉड्यूल तक पहुंच या उपयोग में किसी भी कठिनाई का सामना करने वाले आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/लाइसेंसधारक अपनी शिकायत icegatehelpdesk@icegate.gov in पर ईमेल कर सकते हैं,

ताकि उचित समाधान हो सके। इसी तरह की समस्याओं का सामना करने वाले सीमा शुल्क अधिकारी इसे शीघ्र समाधान के लिए saksham.seva@icegate.gov in पर ईमेल कर सकते हैं।

6. Difficulties, if any, faced in the implementation of CBIC Circular No.19/2024 Customs dated 30.09.2024 may be brought to the notice of this office through email at commrprev-cusjdhpr@nic.in.

सीबीआईसी परिपत्र संख्या 19/2024 सीमा शुल्क दिनांक 30.09.2024 के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को commrprev-cusjdhpr@nic.in पर ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय के ध्यान में लाया जा सकता है।

Signed by
Sugrive Meena
Date: 05-12-2024 18:47:37

(Sugrive Meena)
(सुग्रीव मीना)
Principal Commissioner of Customs
प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त

Copy to:

प्रतिलिपि:

1. The Chief Commissioner of Customs (Preventive), Delhi Zone, New Customs House, New Delhi.
   मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली जोन, नवीनसीमा शुल्क हाउस, नई दिल्ली।

2. All Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioners of Jodhpur (Preventive) Customs Commissionerate.
   सीमा शुल्क आयुक्तालयजोधपुर (निवारक) के सभी अपर/संयुक्त/उप/सहायक आयुक्त

3. All Custodians (ICDs/CFSs).
   सभी अभिरक्षक (आईसीडी/सीएफएस)।

4. President, Rajasthan Customs House Agent Association, FF-3, Tirupati Trade Centre, 4 Sansar Chandra Road, Jaipur
   अध्यक्ष, राजस्थान सीमा शुल्क हाउस एजेंट एसोसिएशन, एफएफ-3,

   तिरुपति ट्रेड सेंटर, 4 संसार चंद्र रोड, जयपुर

5. All PTFC/Trade Associations.
   सभी पीटीएफसी/व्यापार संघ।

6. Notice Board

   नोटिस बोर्ड

7. Superintendent/System for uploading on Jodhpur Customs Website.
   अधीक्षक/प्रणाली, जोधपुर सीमाशुल्क वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु